

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक सी 5-1-2013-1-3

भोपाल, दिनांक ०३ मई, २०१७

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त जिला कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपाल अधिकारी जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए 'स्थायी कर्मियों' को  
विनियमित करने की योजना के तहत सुविधाए उपलब्ध कराया जाना।

सन्दर्भ:- सा.प्र. विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक ०७.१०.२०१६

-----  
संदर्भित परिपत्र द्वारा नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियों के  
संबंध में वेतनमान, वेतनवृद्धि, मंहगाई भत्ता, उपादान आदि का लाभ दिये जाने के  
साथ ही कण्डिका-५ के अनुक्रम में विभागीय अधिसूचना क्रमांक सी ५-१-२०१३-१-  
३, दिनांक ०२ फरवरी, २०१७ द्वारा मध्य प्रदेश दैनिक वेतन भोगी (सेवा की शर्तें)  
नियम, २०१३ को राजपत्र में प्रकाशित कर निरस्त किया गया है। उक्त नियम  
निरस्त होने से अधिवार्षिकी आयु, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, अवकाश कदाचरण एवं  
सेवा समाप्ति के संबंध में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

### १. अधिवार्षिकी आयु -

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-५-१-२०१२-१-३, दिनांक ०९  
नवम्बर, २०१२ द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तथा इनके समकक्ष पदों पर

Chodawat

.... 2

दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से काम लेने की अधिकतम आयु-सीमा क्रमशः 60 एवं 62 वर्ष निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था निरन्तर यथावत् है। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि तृतीय श्रेणी के पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी 60 वर्ष तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त होंगे।

2. पी.एफ.आर.डी.ए द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन स्कीम -

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक, एफ 9-9-13-नियम-चार, 17 जनवरी, 2014(छायाप्रति संलग्न) द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (**Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA**) द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के सदस्य बनने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त प्रक्रिया वर्तमान में निरन्तर यथावत् रहेगी। अतः वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के सदस्य बनने हेतु विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. अवकाश -

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी:-

- (1) कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में तीन राष्ट्रीय अवकाश जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के लिए पात्र होगा।
- (2) उपरोक्त क्रमांक (1) में राष्ट्रीय अवकाशों के अतिरिक्त कर्मचारी पांच त्यौहार अवकाश के लिए पात्र होगा। कर्मचारी शासकीय/ऐच्छिक/स्थानीय अवकाशों की सूची में से ऐसे अवकाशों को चुन सकेगा।

*C. S. Reddy*

- (3) उपरोक्त क्रमांक (1) और (2) में उल्लिखित अवकाशों के अतिरिक्त कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में सात दिन के आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा। सामान्य मामलों में कर्मचारी दो दिन से अधिक के लिए पात्र नहीं होगा।
- (4) महिला कर्मचारी शासन की नीति के अनुसार मातृत्व अवकाश की पात्र होगी।
- (5) उपरोक्त क्रमांक (1), (2), (3) और (4) में उल्लिखित अवकाशों और छुट्टियों के अतिरिक्त कर्मचारी रविवार को साप्ताहिक अवकाश का भी पात्र होगा। आपातकालीन परिस्थितियों में यदि साप्ताहिक अवकाश के दिन काम लिया गया है तो उसके बदले में अगले सप्ताह में अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

4. कदाचार पर कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही:-

(1) निम्नलिखित कृत्यों को गंभीर कदाचरण माना जाएगा:-

- (क) न्यायालय द्वारा किसी मामले में दोषी पाया जाना,  
(ख) शासकीय सम्पत्ति की चोरी या गबन,  
(ग) शासकीय कार्य निपटाने में घूस लेना,  
(घ) अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना,  
(ड.) कार्यस्थल में कार्य के दौरान जुआ खेलना,  
(च) शासकीय कार्य के दौरान शराब पीना,  
(छ) हड़ताल में भाग लेना,  
(ज) शासकीय सम्पत्ति नष्ट करना,  
(झ) बिना पूर्व सूचना के 10 दिन लगातार अनुपस्थित रहना,  
(अ) अन्य कर्मचारियों को हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाना।

उपरोक्त उल्लिखित गंभीर कदाचरण में से किसी के लिए भी कर्मचारी सेवा से हटाए जाने के दंड का भागी होगा।

(2) निम्नलिखित कृत्यों को लघु कदाचरण की श्रेणी में रखा जाएगा :-

- (क) कर्तव्य पर विलम्ब से आना,  
(ख) बिना सूचना के 10 दिन से कम दिनों के लिए कर्तव्य से अनुपस्थित रहना,

*Lokdharmi*

ऊपर उल्लिखित लघु कदाचरण में से किसी के लिए, कर्मचारी उसकी मजदूरी से वसूली के दंड का भागी होगा या उसके मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5. सेवा की समाप्ति -

- (1) निम्नलिखित आधार पर किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा सकेगी, अर्थात्:-

- (क) यदि उस पद पर, जिस पर कि कर्मचारी कार्य कर रहा है, कार्य की अत्यावश्यकता न हो,  
(ख) यदि क्रमांक 4 के उप विन्दु क्रमांक (1) में यथा उल्लिखित आरोप सिद्ध हो जाते हैं।

- (2) नियंत्रणकर्ता अधिकारी ऐसी सेवा समाप्ति के लिए कारणों को उल्लिखित करते हुए आख्यापक, युक्तियुक्त एवं सुस्पष्ट आदेश पारित करेगा।

2/ उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कदाई से पालन सुनिश्चित किया जाय, साथ ही दिनांक 07.10.2016 द्वारा जारी परिपत्र एवं उपर उल्लिखित निर्देश अनुसार प्रत्येक विभाग इनके लिए सेवा शर्ते नियम तैयार करने की कार्यवाही करें।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(Signature)

(सी. बी. पड़वार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक ०३ मई, २०१७

पृष्ठांकन क्रमांक सी 5-1-2013-1-3

प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन मध्य प्रदेश, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
- माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।

4. महालेखाकार म.प्र. गवालियर।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
6. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश, भोपाल
8. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
13. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/गवालियर।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय
15. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
16. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय मंत्रालय, भोपाल
17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल
18. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
20. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी. बी. पड़वार)  
उप सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ-९-९ / १३ / नियम / चार प्रति.

भोपाल, दिनांक ८ जनवरी, 2014

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
सामर्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
मध्यप्रदेश।

विषय—मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्त) नियम, 2013 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिये नियम ४ अनुसार राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम लागू करने बाबत।

—००—

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र०-सी. ५-१-२०१३-३-१ भोपाल दिनांक ०९ जुलाई-२०१३ के द्वारा मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्त) नियम 2013 जारी किया गया है। उक्त नियम की अधिसूचना मध्यप्रदेश राज पत्र (असाधारण) में दिनांक ३० मई २०१३ को जारी की गयी है। उक्त नियमों के नियम ४ अनुसार इन कर्मचारियों के लिए पेंशन फण्ड नियमक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम लागू किया गया है। अतः इस सिस्टम के सदस्य बनने हेतु नियमानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

- १- दैनिक वेतन भोगी (दै०य०भो०) कर्मचारियों हेतु सदस्यता उनके द्वारा दिये गये विकल्प के दिनांक से लागू होगी। विकल्प का प्रारूप परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। कार्यालय प्रमुख प्रस्तुत विकल्प पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।
- २- कोषालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मजदूरी का आहरण कोषालयीन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से जनरेट कर किया जायेगा।
- ३- राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम का सदस्य बनने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के प्राने (PRAN) जनरेशन हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी (कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत विकल्प, कार्यालय प्रमुख के द्वारा संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा) कोषालयीन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के SLIM (Salary Information Management) में एस-१ फार्म की प्रविष्टि कर उसका प्रिंट प्राप्त करेगा। संबंधित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी इस प्रकार प्रिंटेंड फार्म में

निर्धारित स्थान पर फोटो घस्या कर हस्ताक्षर करेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी एस-१ फार्म की प्रयिष्टियों को प्रमाणित कर उससे सम्बद्ध कोषालय अधिकारी के पास भेजेगा। एस-१ फार्म (पान जनरेशन हेतु) के पी-पेन कालम में पहले ८ अंक '०' तत्पश्चात् एम्लाइ कोड अंकित किया जाएगा। नियुक्ति दिनांक के कॉलम में विकल्प प्रस्तुति दिनांक को अंकित किया जायेगा एवं यह तिथि जिस माह की होगी उसके अगले ग्रह से राष्ट्रीय पेशन सिस्टम का कटौत्रा प्रारम्भ किया जायेगा।

- 4- राष्ट्रीय पेशन सिस्टम के लिए देशिक वेतन भोगी कर्मचारी की मजदूरी (विशेष भत्ता छोड़कर) से 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान की राशि का कटौत्रा किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत अंशदान की राशि राज्य शासन द्वारा भुगतान की जायेगी। अंशदान की राशि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा मजदूरी भद्र में आवंटित बजट के विरुद्ध ही आहरित की जायेगी।
- 5- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का, जिनका राष्ट्रीय पेशन सिस्टम का कटौत्रा किया जाना है, मजदूरी के देयक पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक देयक (Fully Vouched Contingent Bill) पर पृथक् री देयार कर कोषालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक देयक के साथ प्रपत्र-'ब' में जानकारी भी सलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। प्रपत्र-'ब' के "देयक का संक्षिप्त विवरण" के कालग क, ख, ग, घ, ड की जानकारी पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक देयक पर अंकित की जानी होगी।
- 6- कोषालय अधिकारी द्वारा आहरित कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान की राशि संचालनालय पेशन भविष्य निधि एवं बीमा भोगाल को इस हेतु खोले गये पृथक् बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। इसके अलावा कोषालय अधिकारी द्वारा अंशदान की राशियों से संबंधित डेटा (Subscriber Contribution File) संचालनालय पेशन भविष्य निधि एवं बीमा भोगाल को प्रेषित की जायेगी। संचालनालय पेशन भविष्य निधि एवं बीमा भोगाल द्वारा अंशदान की राशि ट्रस्टी बैंक को (RTGS/NEFT के माध्यम से) प्रेषित की जायेगी तथा डाटा (SCF) नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (NSDL) की देव साईट पर लोड किया जायेगा।

पेशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के परिपत्र F.No.PFRDA/2013/17/PDEX/2 दिनांक 23.10.2013 द्वारा ऐसे अभिदाता जिनकी जमा राशि सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवात्याग करते समय राशि 2.00 लाख या उससे कम होगी। उनको उनकी पूरी जमा राशि लौटा दी जायेगी। शेष कर्मचारियों को फी0एफ0आर0डी0ए० के परिपत्र क0-0-Cir no-PFRDA/2013/2/PDEX/2 दिनांक 22.01.2013 के अनुसार उनके खाते में जमा राशि का निम्न प्रकार से आहरण किया जा सकता है-

- 'अ' अधिवार्षिकी आयु पर ५० प्रतिशत जमा राशि से कर्मचारी को एन्स्युटी खरीदनी होगी एवं शेष राशि एक मुश्त देय होगी।
- 'ब' मृत्यु की स्थिति में 100 प्रतिशत राशि उसके नामांकित/ वैध उत्तराधिकारी को दी जायेगी।

14

'स' अधिवार्षिकी आयु के पूर्द राष्ट्रीय पेशन सिस्टम से बाहर निकलने पर 80 प्रतिशत जमा राशि की एन्युटी खरीदनी होगी एवं 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त देय होगी ।

8- जमा राशि पर लाभांश की राशि समय-समय पर पेशन कण्ठ नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लाभांश दर अनुसार अधिकारी के खाते में जमा की जायेगी ।

2/ कृपया उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित अधीनरथ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( मनीष रस्तोगी )

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठगांक / एफ-9-9 / 13 / नियम / चार

भोपाल, दिनांक / ८ जनवरी, 2014

प्रतिलिपि:-

- 1-आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल म0प्र0 ।
- 2-संचालक, पेशन, भविष्य निधि एवं श्रीमा म.प्र. भोपाल ।
- 3-समरत संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा म0प्र0 ।
- 4-समरत संभागीय पेशन अधिकारी म0प्र0 ।
- 5-समरत कोषालय अधिकारी, म0प्र0 ।
- 6-समरत जिला पेशन अधिकारी म0प्र0 ।

( अजय चौधरी )

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

१८

साथ संलग्न करे

देयक का संश्लिष्ट तिवरण (देयक पर अंकित किया जाना है)

देयक का सम्बोधन विवरण		प्रेसा कि कालमन में अंकित है	शारीरिक रूप से	स्थान
म.क.	देयक का विवरण	कालम 6 के कुल योग के अनुसार	दृढ़ देह के लिए	
अ.	देयकों कर्मचारी के एवं उनके प्रत्यक्ष अवस्थान की कुल राशि	कालम 9 के कुल योग के अनुसार	मजबूत अनुभाव	
इ.	देयकों कर्मचारी के कुल खाते में जगा की जाने वाली कुल शुद्ध राशि	कालम 10 के कुल योग के अनुसार	मजबूत अनुभाव	
प.	देयकों कर्मचारी के कुल खाते में जगा की जाने वाली कुल शुद्ध राशि	कालम 15+8+10) के कुल योग का	मजबूत अनुभाव	
रा.	देयकों कर्मचारी के कुल खाते में जगा की जाने वाली कुल शुद्ध राशि	कालम 6 एवं 10 के कुल योग का	देयक के लिए	
र.	देयक को सकल राशि	मिलाकर		
प.	देयकों कर्मचारी के एवं उनके प्रत्यक्ष अवस्थान की कुल राशि जगा की जाने है। गोपी जो सहायता देता है वह विदी के खाते में जगा की जाने है।	कालम 6 एवं 10 के कुल योग का	देयक के लिए	
द.	देयकों कर्मचारी की कुल राशि। (कालम 2 के अनुसार)	मिलाकर		
द.व.भा.	देयकों कर्मचारी की कुल राशि। (कालम 2 के अनुसार)			
आस्तरण	एवं सवितरण अधिकारी के दिनांक सहित हस्ताक्षर एवं पढ़ना			